रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934

No. 204] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012/BHADRA, 30, 1934

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2012

सं. एल-1/67/2012-कें.वि.वि.आ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (द) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है :

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन विनियमों का नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्य-निष्पादन मानक) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **कार्य-क्षेत्र:-** ये विनियम सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं:-** (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **''अधिनियम''** से समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) ''**प्रभावित व्यक्ति**'' से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से ऐसा कोई प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन के मानकों का पालन न करने के कारण प्रभावित हो;

(ग) ''**आयोग**'' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''**अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस)**'' का वही अर्थ होगा जैसाकि अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित है;

(ङ) ''**अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी**'' से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की पारेषण लाइनें स्थापित करने, प्रचालित करने और रख-रखाव के लिए अधिकृत मानित अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सहित कोई अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;

(च) ''**प्रयोक्ता**'' से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के किसी खंड/घटक का प्रयोक्ता अभिप्रेत है और इसमें थोक उपभोक्ताओं और किसी अन्य उद्यम/व्यक्ति सहित अंतर-राज्यिक उपयोगिताएं, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) या भार सेवारत उद्यम सम्मिलित हैं;

(छ) ''**वर्ष**'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जैसा कि उन्हें क्रमशः अधिनियम और आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों में समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय 2
उद्देश्य, प्रतिमान और प्रक्रिया

4. **उद्देश्य:-** इन विनियमों का उद्देश्य अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कार्य-निष्पादन के मानकों को सुनिश्चित करना और विद्युत पारेषण की एक दक्ष, विश्वसनीय, समन्वयित और किफायती प्रणाली प्रदान करना है और उसका पालन न करने पर प्रभावित पक्षकारों को प्रतिकर का हकदार बनाना है।

5. **कार्य-निष्पादन के मानक:-** सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन के मानकों का अनुपालन करेंगे:

(क) पारेषण प्रणाली उपलब्धता

(i) पारेषण प्रणाली उपलब्धता की संगणना मासिक आधार पर घटक-वार उसी रीति में की जाएगी जैसाकि समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 और उसकी पश्चातवर्ती किसी अधिनियमिति में उपबंधित है।

(ii) आउटेज के अधीन पारेषण घटक की मानित उपलब्धता वही होगी जैसाकि समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम,2009 और उसकी पश्चातवर्ती किसी अधिनियमिति में विनिर्दिष्ट हैं।

(iii) पारेषण प्रणाली की घटक-वार मासिक उपलब्धता, नीचे दी गई उपलब्धता से कम नहीं होगी :

क्रम संख्या	**पारेषण घटक**	**उपलब्धता (समय की प्रतिशतता)**
(i)	ए.सी. पारेषण लाइन	90
(ii)	आई. सी. टी.	90
(iii)	रिएक्टर	90
(iv)	स्थिर वी.ए.आर. प्रतिकारित्र	90
(v)	श्रृंखला प्रतिकारित्र	90
(vi)	एच.वी.डी.सी. (आगे-पीछे केंद्र और बाइ-पोल लिंक)	85

टिप्पण: (1) एसी पारेषण लाइन और एचवीडीसी बाइ-पोल लाइन की मासिक उपलब्धता की संगणना के प्रयोजन के लिए टावर ढहने की गणना नहीं की जाएगी।

(2) अंतर-संयोजिता ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर की उपलब्धता की संगणना के प्रयोजन के लिए अंतर-संयोजन ट्रांसफॉर्मर (आईसीटी) और रिएक्टर की विफलता की गणना नहीं की जाएगी।

(iv) घटक-वार मासिक उपलब्धता को प्रादेशिक विद्युत समिति की सदस्य-सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) पुनःस्थापन समयः- पारेषण लाइन और अंतर-संयोजन ट्रांसफॉर्मर (आईसीटी) और रिएक्टरों की विफलताओं के विभिन्न प्रकारों के लिए पुनःस्थापन समय निम्नलिखित समय-सीमा से अधिक नहीं होगा :

क्रम सं.	**विफलताओं के प्रकार**	**पुनःस्थापन समय (दिन)**
1.	इंस्यूलेटर की विफलता	
	मैदानी भू-भाग	1
	पहाड़ी भू-भाग	2
2.	आपात पुनःस्थापन प्रणाली (ईआरएस) द्वारा ढह जाने के बाद टॉवर	12
3.	ढह जाने के बाद टॉवर	
	मैदानी भू-भाग	30
	नदी तल	50
	पहाड़ी भू-भाग	50

4.	फेस संचालक का कटाव	
	मैदानी भू-भाग	2
	पहाड़ी भू-भाग	3
5.	अर्थवायर की विफलता	
	मैदानी भू-भाग	2
	पहाड़ी भू-भाग	3
6.	अंतर संयोजन ट्रांसफार्मर (आईसीटी) की विफलता	
	आईसीटी का पुनःस्थापन	120
7.	रिएक्टरों की विफलता	
	विफल रिएक्टर का पुनःस्थापन	120

6. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों को बनाए रखने में अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई विफलता, अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाले प्रभावित किसी व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के संदाय के लिए उक्त अनुज्ञप्तिधारी को दायी बनाएगीः

परन्तु यह भी कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिकर का संदाय अधिनियम में यथा उपबंधित किसी शास्ति, जो अधिरोपित की जाए या आयोग द्वारा प्रारंभ किसी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

7. प्रतिकर के लिए प्रक्रियाः कोई प्रभावित व्यक्ति, जिसने किसी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य-निष्पादन के मानकों का पालन न करने के कारण हानि उठाई है, प्रतिकर दिलाए जाने के लिए आयोग को समुचित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु यह कि आयोग प्रतिकर का अवधारण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, करेगाः

परन्तु यह भी कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभावित व्यक्ति को संदाय किए जाने वाला प्रतिकर किसी विशिष्ट घटक के पारेषण प्रभारों की उस सीमा तक सीमित होगा जिस तक इससे प्रभावित व्यक्ति को विद्युत का प्रदाय प्रभावित हुआ होः

परन्तु यह और कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण विद्युत के उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम द्वारा दिए गए प्रतिकर की रकम वसूल करने का हकदार नहीं होगा।

परन्तु यह और भी कि यदि प्रतिकर के लिए आवेदन, इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (ख) में विहित मानकों के लिए, यथास्थिति,उस मास के अंत से, जब खंड 5(क) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता से पारेषण प्रणाली की उपलब्धता कम पाई जाए, नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात और पारेषण घटक के पुनः स्थापन की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात, फाइल किया जाए तो प्रतिकर के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली सूचना

8.अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:- (1) सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 59 के अनुसरण में, इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए फारमेट में, आयोग को, (क) प्राप्त कार्य-निष्पादन के स्तर, (ख) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकर का संदाय किया गया है, और (ग) प्रतिकर की कुल रकम की सूचना प्रस्तुत करेंगे।

(2) ऐसी सूचना, अपेक्षित फारमेट में, आयोग को वित्तीय वर्ष में दो बार अप्रैल से सितम्बर की अवधि और अक्तूबर से मार्च तक की अवधि के लिए क्रमशः 31 अक्तूबर और 30 अप्रैल को छह मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर, मासिक आधार पर कार्य-निष्पादन के विनिर्दिष्ट मानकों के विरूद्ध वास्तविक कार्य-निष्पादन और भुगतान की गई प्रतिकर की कुल रकम, यदि कोई हो, अनुसूची से संलग्न फारमेट में प्रदर्शित करेंगे।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

8. **शिथिल करने की शक्तिः**(1) आयोग, यदि उसे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और लिखित में कारण अभिलिखित किए जाने के लिए, युद्ध, विद्रोह, नागरिक अशांति, उपद्रव, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बिजली गिरने, भूकम्प, ग्रिड विफलता और हड़ताल/कर्फ्यू, तालाबंदी, आग जैसी नियंत्रण से परे परिस्थितियों, जिनसे अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संस्थापन और प्रचालन क्रियाकलाप प्रभावित हुए हों या ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट स्थितियों के दौरान कार्य-निष्पादन के किसी विनिर्दिष्ट मानक के पालन को शिथिल कर सकेगाः

परन्तु यह कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के अधीन कार्य-निष्पादन के मानकों को बनाए रखने में उसकी विफलता के कारण उसके दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जाएगा यदि यह पाया जाए कि यह विफलता किसी उपेक्षा या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में दोष अथवा निवारात्मक रख-रखाव में कमी के कारण या युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरतने में विफलता के कारण हुई है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्ति को हानि उठानी पड़ी है।

9. **कठिनाइयां दूर करने की शक्तिः-** यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाए तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों तथा कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/12/असा.]

3606GI/12-2

अनुसूची

I. -------मास के लिए ए.सी. पारेषण लाइन/आई सी टी/स्थिर वीएआर प्रतिकारित्र/श्रृंखला प्रतिकारित्र/एचवीडीसी (आगे-पीछे केंद्र और बाइ-पोल लिंक)/लाइन रिएक्टर/बस रिएक्टर आउटेज ब्यौरे

घटक का नाम	आउटेज	पुनःस्थापन	निम्न से संबद्ध आउटेज की अवधि				आउटेज का कारण	% उपलब्धता
	तारीख समय	तारीख समय	अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	अन्य	प्रणाली बाध्यता/ प्राकृतिक आपदा/ युद्ध संलग्नता	मानित उपलब्धता		
			घंटे : मिनट	घंटे : मिनट	घंटे : मिनट	घंटे : मिनट		

घटक जहां पुनःस्थापन समय विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक है

घटक का नाम	विनियम 5(ख) में यथा विनिर्दिष्ट पुनःस्थापन समय (दिनों में)	वास्तविक पुनःस्थापन समय (दिनों में)

II. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त प्रतिकर के ब्यौरे

घटक का नाम	विनियम 5(क) का उल्लंघन		विनियम 5(ख) का उल्लंघन		संदत्त प्रतिकर (₹ में)
	% विहित उपलब्धता	वास्तविक % उपलब्धता	विहित पुनःस्थापन समय (दिनों में)	वास्तविक पुनःस्थापन समय (दिनों में)	
योग					

III. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पीओएसओसीओ को प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े

(1) यथा परिभाषित निर्भरता सूची $D = \frac{N_c}{(N_c + N_f)}$

जहां N_c दिए गए समय अंतराल के दौरान सही प्रचालनों की संख्या है और N_f आंतरिक विद्युत प्रणाली दोषों पर प्रचालन में विफलताओं की संख्या है।

(2) यथा परिभाषित सुरक्षा सूची $S = \frac{N_c}{(N_c + N_u)}$

जहां N_u अवांछित प्रचालनों की संख्या है।

(3) यथा परिभाषित विश्वसनीयता सूची $R = \frac{N_c}{(N_c + N_i)}$

जहां N_i गलत प्रचालनों की संख्या और N_f तथा N_u का योग है।

(4) उपरोक्त से $\frac{1}{S} + \frac{1}{D} = \frac{1}{R} + 1$

(5) प्रत्येक पारेषण घटक की ट्रिप्पिंगों की संख्या। किसी पारेषण घटक की एक मास में पांच या अधिक ट्रिप्पिंगों को अंतर राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाला जाएगा और इसकी सूचना पीओएसओसीओ को दी जाएगी।

टिप्पण :

1. इन सूचियों के आंकड़े वर्तमान में प्रणाली प्रचालक द्वारा संग्रहण के लिए विहित किए गए हैं।
2. पीओएसओसीओ द्वारा इन सूचियों को संगणित किया जाएगा और मासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

IV. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संकालित किए जाने वाले आंकड़े

पारेषण लाइन की विफलताओं के विभिन्न प्रकारों और अंतर-संयोजन ट्रांसफार्मर (आईसीटी) तथा रिएक्टर की विफलता के लिए पुनःस्थापन समय निम्नलिखित फॉरमेट में दिया जाएगा :

क्र.सं.	विफलताओं के प्रकार	पुनःस्थापन समय (दिन)		
अ.	प्रत्येक केवी श्रेणी हेतु पृथक्तः एकल सर्किट (एस/सी) डबल सर्किट (डी/ और बहु सर्किट (एम/सी) टॉवरों के लिए पारेषण लाइन के घटक			
1.	इंस्यूलेटर विफलता	भू-भाग प्रकार		
		मैदान	नदी तल	पहाड़ी
	(i) एकल फेस में इंस्यूलेटर विफलता			
	(ii) दो फेसों में इंस्यूलेटर विफलता			
	(iii) तीन फेसों में इंस्यूलेटर विफलता			
2.	एस/सी, डी/सी/ और एम/सी के लिए पृथक्तः आयात पुनःस्थापन प्रणाली (ईआरएस) द्वारा पात के बाद टॉवर			
3.	एस/सी, डी/सी और एम/सी के लिए पृथक्तः आयात पुनःस्थापन के बिना पात के बाद टॉवर			
4.	टावर नुक्सान (पात नहीं)			
	एक हाथ का नुक्सान			
	दो हाथ का नुक्सान			
5.	फेस संचालक का कटाव			
	सफल फेस में संचालक कटाव			
	दो फेसों में संचालक कटाव			
	तीन फेसों में संचालक कटाव			
6.	अर्थ वायर की विफलता			
7.	संचालक कटाव के साथ इंस्यूलेटर विफलता			
8.	विफलताओं का कोई अन्य संयोजन			
आ.	प्रत्येक केवी श्रेणी के लिए पृथक्तः उपकेंद्र का घटक			
1.	अंतर-संयोजी ट्रांसफार्मरों (आईसीटी) की विफलता			
	विफल आईसीटी का पुनः स्थापन			
	आईसीटी में अन्य बड़ी विफलताएं	एकल फेस यूनिट	तीन फेस यूनिट	
	(i) दूषित बुशिंग्स का प्रतिस्थापन			
	(ii) विफल/घटी हुई बुशिंग्स का प्रतिस्थापन			
	(iii) दूषित टेप परिवर्तकों का प्रतिस्थापन			
2.	रिएक्टरों की विफलता			
	विफल रिएक्टरों का पुनःस्थापन			

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2012

No. L-1/67/2012-CERC.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 57 read with clause (p) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations:

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. **Short title and Commencement.-** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Standards of Performance of inter-State transmission licensees) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Scope.-** These regulations shall be applicable to all the inter-State transmission licensees.

3. **Definitions.- (1)** In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) as amended from time to time;

(b) "**affected person**" means a user of the inter-State transmission system who is affected due to non-adherence to the Standards of Performance specified in these regulations by the inter-State transmission licensee;

(c) **"Commission"** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;

(d) **"Inter-State Transmission System (ISTS)"** shall have the same meaning as defined in Section 2 (36) of the Act.

3606 GI/12-3

(e) **"Inter-State Transmission Licensee"** means a licensee including a deemed inter-State transmission licensee authorized to establish, operate and maintain transmission lines of the inter-State Transmission System;

(f) **"User"** means a user of any segment/ element of the inter-State Transmission System and shall include all generators, State Transmission Utilities, State Electricity Boards (SEBs) or load serving entities directly connected to the inter-State Transmission System including Bulk Consumers and any other entity/ person;

(g) **"Year"** means a financial year.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or any of the regulations made by the Commission, shall have the meanings as assigned to them respectively in the Act, and regulations made by the Commission from time to time.

CHAPTER 2

OBJECTIVE, NORMS AND METHODOLOGY

4. **Objective.-** The objectives of these regulations are to ensure compliance of the Standards of Performance by the inter-State transmission licensees and to provide for an efficient, reliable, coordinated and economical system of electricity transmission, non-adherence of which would entitle the affected parties to compensation.

5. **Standards of Performance.-** (1) All inter-State transmission licensees shall comply with the Standards of Performance specified in these regulations:

(a) **Transmission System Availability**

(i) The transmission system availability shall be calculated element – wise on monthly basis, in the same manner as provided for in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009, as amended from time to time and any subsequent enactment thereof.

(ii) The deemed availability of the transmission elements under outage shall be as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009, as amended from time to time and any subsequent enactment thereof.

(iii) The element-wise monthly availability of the transmission system shall not be below the availability as given below:

Sl. No.	Transmission Elements	Availability (% of time)
(i)	AC Transmission line	90
(ii)	ICTs	90
(iii)	Reactors	90
(iv)	Static VAR Compensator	90
(v)	Series Compensator	90
(vi)	HVDC (Back-to-back Stations and bi-pole links)	85

Notes: (1) Tower collapse shall not be counted for the purpose of calculation of monthly availability of AC transmission line and HVDC bipole line.

(2) Failure of Inter-Connecting Transformer (ICT) and Reactor shall not be counted for the purpose of calculation of availability of Inter-Connectivity Transformer and Reactor.

(iv) The element-wise monthly availability shall be certified by the Member Secretary of the Regional Power Committee.

(b) **Restoration time.-** Restoration time for different types of failures of transmission line and Inter-Connecting Transformer (ICT) and reactors shall not exceed the following time limit:

Sl. No.	Types of failures	Restoration Time (Days)
1.	Insulator failure	
	Plain Terrain	1
	Hilly Terrain	2
2.	Tower after collapse by Emergency Restoration System (ERS)	12
3.	Tower after collapse	
	Plain Terrain	30
	River Bed	50
	Hilly Terrain	50
4.	Snapping of phase conductor	
	Plain Terrain	2
	Hilly Terrain	3
5.	Failure of earth wire	

	Plain Terrain	2
	Hilly Terrain	3
6.	Failure of Inter Connecting Transformers (ICTs)	
	Restoration of the failed ICT	120
7.	Failure of Reactors	
	Restoration of the failed reactor	120

6. Any failure by the inter-State transmission licensee to maintain the standards of performance specified in these regulations shall render the said licensee liable to payment of compensation to an affected person claiming such compensation under the provisions of the Act:

Provided also that the payment of compensation by the Inter-State transmission licensee shall be without prejudice to any penalty, which may be imposed or any prosecution which may be initiated by the Commission as provided in the Act.

7. **Methodology for compensation.-** An affected person who has suffered a loss on account of non-adherence to the Standard of Performance by any inter-State transmission licensee may make an appropriate application to the Commission for award of compensation:

Provided that the Commission shall determine the compensation after giving reasonable opportunity to the transmission licensees of being heard:

Provided furhter that the compensation to be paid by the inter-State transmission licensee to the affected party shall be limited to the transmission charges of the particular element to the extent to which it has affected the supply of electricity to the affected person:

Provided further that the inter-State transmission licensee shall not be entitled to recover the amount of compensation awarded through tariff from the users of the transmission electricity:

Provided also that no claim for compensation shall be entertained if the application for the claim is filed after expiry of a period of ninety days from the end of the month when the availability of the transmission system falls short of the availability specified in Clause 5 (a) and ninety days from the date of restoration of transmission element, as the case may be, for the standards prescribed in Clause (b) of Regulation 5 of these regulations.

CHAPTER 3

INFORMATION TO BE FURNISHED BY THE INTER-STATE TRANSMISSION LICENSEES

8. **Information to be furnished by the inter-State Transmission Licensees.- (1)**All inter-State transmission licensees, in accordance with section 59 of the Act, shall furnish to the

Commission, (a) the level of performance achieved, and (b) the number of cases in which compensation was paid, and (c) the aggregate amount of the compensation, in the formats in the **Schedule** of these regulations.

(2) Such information in the requisite formats shall be submitted to the Commission twice during the financial year, on six monthly basis by 31st October and 30th April for the periods April to September and October to March respectively.

(3) All inter-State transmission licensees shall display on their web-sites the actual performance against the specified Standards of Performance on a monthly basis and the aggregate amount of compensation paid, if any, in the formats enclosed in the Schedule.

CHAPTER 4

MISCELLANEOUS

9. **Power to Relax.-** The Commission may, if it considers necessary or expedient to do so and for the reasons to be recorded in writing, relax adherence to any specific Standard of Performace during Force Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, cyclone, storm, lightning, earthquake, grid failure, and strike/curfew, lockout, fire affecting the inter-State Transmission Licensee's installations and operation activities, or under such other specific circumstances:

Provided that the Inter-State Transmission Licensee shall not be discharged from its liability on account of its failure to maintain the Standards of Performance under these regulations if such failure can be attributed to the negligence or deficiency or lack of preventive maintenance of the inter-state transmission system or failure to take reasonable precaution which has resulted in loss to the affected person.

10. **Power to remove difficulties.-** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/150/12/Exty.]

3606 GI/12—4

SCHEDULE

I. AC Transmission Line/ ICT/ Static VAr Compensator/ Series Compensator/ HVDC (Back-to-Back Stations and Bi-Pole Links)/ Line Rectors/ Bus Reactors Outage Details for the month of ________

Element Name	Outage	Restoration	Duration of Outage Attributable to				Reason of Outage	% Availability
	Date Time	Date Time	Inter-State Transmission Licensee	Others	System constraint/ Natural calamity/ Militancy	Deemed Available		
			Hrs:Min	Hrs:Min	Hrs:Min	Hrs:Min		

II. Elements where restoration time has exceeded the standards specified in Regulation 5 (b).

Element Name	Restoration time as specified in Regulation 5 (b) (in days)	Actual restoration time (in days)

III. Details of compensation paid by the inter-State transmission licensee

Element Name	Violation of Regulation 5 (a)		Violation of Regulation 5 (b)		Compensation paid (in ₹)
	% Availability prescribed	Actual % Availability	Restoration time prescribed (in days)	Actual restoration time (in days)	
Total					

IV. Data to be furnished by the inter-State Transmission Licensees to POSOCO

(1) The Dependability Index defined as $D = \frac{N_c}{(N_c+N_f)}$

where N_c is the number of correct operations during the given time interval and N_f is the number of failures to operate at internal power system faults.

(2) The Security Index defined as $S = \frac{N_c}{(N_c+N_u)}$

where N_u is the number of unwanted operations.

(3) The Reliability Index defined $R = \frac{N_c}{(N_c+N_i)}$

where N_i is the number of incorrect operations and is the sum of N_f and N_u.

(4) From above $\frac{1}{S} + \frac{1}{D} = \frac{1}{R} + 1$

(5) The number of trippings of each transmission element. Five or more trippings of a transmission element in a month to be put on the website by the inter-State Transmission Licensees and reported to the Commission by POSOCO

Note:

1. The data for these indices are presently prescribed for collection by the System Operator.
2. These indices shall be computed by the POSOCO and furnished to the Commission on monthly basis.

V. **Data to be compiled by the inter-State Transmission Licensees**

The restoration times for different types of failures of a transmission line and failure of Inter-Connecting Transformer (ICT) and reactor in the following format:

Sl. No.	Types of failures	Restoration Time (Days)		
A.	**Elements of the Transmission line for Single Circuit (S/C), Double Circuit (D/C) and Multi-Circuit (M/C) towers for each kV class separately**			
1.	**Insulator failure**	**Terrain type**		
		Plain	**River bed**	**Hilly**
	(i) Insulator failure in single phase			
	(ii) Insulator failure in two phases			
	(iii) Insulator failure in three phases			
2.	Tower after collapse by Emergency Restoration System (ERS) for S/C, D/C and M/C separately			
3.	Tower after collapse without Emergency Restoration System (ERS) for S/C, D/C and M/C separately			
4.	**Tower damage (not collapse)**			
	One arm damage			
	Two arms damage			
5.	**Snapping of phase conductor**			
	Conductor snapping in single phase			
	Conductor snapping in two phases			
	Conductor snapping in three phases			
6.	**Failure of earth wire**			
7.	**Insulator failure with conductor snapping**			
8.	**Any other combination of failures**			
B.	**Elements of the sub-station for each kV class separately**			
1.	**Failure of Inter Connecting Transformers (ICTs)**			
	Restoration of the failed ICT			
	Other major failures in ICTs	**Single phase unit**	**Three phase unit**	
	(i) Replacement of faulty bushings			
	(ii) Replacement of failed/ blasted bushings			
	(iii) Replacement of faulty tap changers			
2.	**Failure of Reactors**			
	Restoration of the failed reactor			

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.